रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-26102020-222743 CG-DL-E-26102020-222743

असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4 प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 448]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 26, 2020/ कार्तिक 4, 1942 NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 26, 2020/KARTIKA 4, 1942

No. 448]

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 2020

फा. सं.मानक/ओएंडएफ/अधिसूचना(12)/एफएसएसएआई-2019.—खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय पर प्रतिषेध एवं निर्बंधन) संशोधन विनियम, 2019 का प्रारूप खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 92 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की अधिसूचना सं. फा. सं. मानक/ओएंडएफ/अधिसूचना(12)/ एफएसएसएआई-2019, तारीख 5 जुलाई, 2019 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4 में प्रकाशित किया गया था जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना में अंतर्विष्ट राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध कराई गई थी तीस दिन की अवधि की समाप्ति तक आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियाँ जनता को तारीख 16 जुलाई, 2019 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त विनियमों के प्रारूप पर जनता से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार कर लिया गया है;

5186 GI/2020 (1)

अत: अब भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण उक्त अधिनियम, की धारा 16 के साथ पठित धारा 92 की उप-धारा (2) के खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय पर प्रतिषेध एवं निर्बंधन) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात:-

- 1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय पर प्रतिषेध एवं निर्बंधन) तृतीय संशोधन विनियम, 2020 है।
 - (2) यह राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवत्त होंगे।
 - 2. खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बंधन) विनियम, 2011 के, विनियम 2.3 के, उपविनियम 2.3.15 के, खंड (7) के पश्चात, निम्नलिखित खंड को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात-
 - "8. अप्रयुक्त या ताज़ा वनस्पित तेल या वसा में कुल पोलर कम्पाऊन्ड 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा और इस्तेमाल किया हुआ तेल या वसा, जिसमें कुल पोलर कम्पाऊन्ड 25 प्रतिशत से अधिक विकसित हो गया है, उपयोग नहीं किया जाएगा।"
 - 3. खाद्य कारोबार चालक को 1 जुलाई 2021 से इन विनियमों के सभी उपबंधों का अनुपालन करना होगा।

अरुण सिंघल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी [विज्ञापन-III/4/असा./309/2020]

टिप्पण: खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बंधन) विनियम, 2011 भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना संख्या एफ.सं.2-15015/30/2010 तारीख 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए और पश्चातवर्ती निम्न अधिसूचना संख्याकों द्वारा संशोधित किए गए:–

- (i) फा. सं. 4/15015/30/2011, दिनांक 8 फरवरी, 2013;
- (ii) फा. सं. स्टैंडर्ड्स/ओ एंड एफ/अधिसूचना(2)/एफ.एस.एस.ए.आई-2016, तारीख 23 अगस्त, 2016;
- (iii) फा. सं. स्टैंडर्ड्स/एफ एंड वी.पी/अधिसूचना(02)/ एफ.एस.एस.ए.आई-2016, तारीख 23 अगस्त, 2016;
- (iv) फा. सं. ए-1(1)/मानक/एम.एम.पी/2012, तारीख 12 अक्टूबर, 2017;
- (v) फा. सं. स्टैंडर्ड्स/ओ एंड एफ/अधिसूचना (8)/एफ/ एफ.एस.एस.ए.आई, तारीख 31 जुलाई, 2018;
- (vi) फा. सं. स्टैंडर्ड्स/सहयोज्य-2/अधिसूचना/ एफ.एस.एस.ए.आई/2018, तारीख 25 जून, 2019;
- (vii) फा. सं. स्टैंडर्ड्स/साल्ट/विविध/01/ एफ.एस.एस.ए.आई-2016(भाग 1), तारीख 25 जून, 2019;
- (viii) फा. सं. स्टैंडर्ड्स/एडीटिव-03/अधिसूचना/एफएसएसआई/2018, तारीख 21 जुलाई, 2020; और
- (ix) एफ. सं. मानक/एगमार्क-बीआईएस/02/एफएसएसएआई-2018, तारीख 20 अक्टूबर, 2020।

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi, the 26th October, 2020

No. Stds/O&F/Notification(12)/FSSAI-2019.—Whereas the draft of certain regulations further to amend the Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulations, 2011, was published as required by sub-section (1) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), *vide* notification of the Food Safety and Standards Authority of India number F. No. Stds/O&F/Notification(12)/FSSAI-2019, dated the 5th July, 2019, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, inviting objections and suggestions from the persons

likely to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 16th July, 2019;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft regulations have been considered by the Food Safety and Standards Authority of India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of section 92 read with section 16 of the said Act, the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulations, 2011, namely:-

- 1. (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Third Amendment Regulations, 2020.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
- 2. In the Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulations, 2011, in regulation 2.3, in sub-regulation 2.3.15, after clause (7), following clause shall be inserted, namely: -
 - "8. The Total Polar Compounds in unused or fresh vegetable oil or fat shall not be more than 15% and used vegetable oil or fat having developed Total Polar Compounds more than 25% shall not be used."
- 3. Food Business Operator shall comply with the provisions of these regulations on or before the 1st July, 2021.

ARUN SINGHAL, Chief Executive Officer [ADVT.-III/4/Exty./309/2020]

Note. - The Food Safety and Standards (Prohibition and Restriction on sales) Regulations, 2011 were published in the Gazette of India, Extraordinary vide notification number F. No. 2-15015/30/2010, dated the 1st August, 2011 and subsequently amended *vide* notification numbers:

- (i) F. No. 4/15015/30/2011, dated the 8th February, 2013;
- (ii) F. No. Stds/O&F/Notification (2)/FSSAI-2016, dated the 23rd August, 2016;
- (iii) F. No. Stds/F&VP/Notification (02)/FSSAI-2016, dated the 23rd August, 2016;
- (iv) F. No. A-1(1)/Standards/MMP/2012, dated the 12th October, 2017;
- (v) F. No. Stds/O&F/Notification (8)/FSSAI-2017, dated the 31st July, 2018;
- (vi) F. No. Stds/Additives-2/Notification/FSSAI/2018, dated the 25th June, 2019
- (vii) F. No. Stds/Salt/Misc/01/FSSAI-2016 (pt-1), dated the 25th June, 2019;
- (viii) F. No. stds/Additive-3/notification/FSSAI/2018, dated 21st July, 2020; and
 - (ix) F.No.Stds/Agmark-BIS/02/FSSAI-2018, dated 20th October, 2020.